

शांति भंग करने के 19 आरोपी गिरफ्तार :-

जबर सिंह हैड कानि० थाना बौली ने मीठालाल पुत्र पूनीराम श्रीमति ममता पत्नि मिठालाल 3. केदार पुत्र गोविन्दा 4. श्रीमति उगन्ती पत्नि केदार जातियान मीनगान नि० खिरनी थाना बौली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार धर्मेन्द्र हैड कानि० थाना बौली ने श्री रामराज पुत्र भैरूलाल जाति प्रजापत नि० देवली थाना बौली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार भरतलाल हैड कानि० थाना चौथ का बरबाडा ने 01. श्री रामसहाय योगी पुत्र श्री कन्हैया लाल उम्र 36 साल निवासी बाढ बिच्छूदौना थाना मलारना डूंगर, 02. श्री हरिनारायण पुत्र श्री धन्नालाल जाति बैरवा उम्र 49 साल निवासी झडकुन्द थाना चौथ का बरबाडा जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार माधोसिंह हैड कानि० थाना चौथ का बरबाडा ने 01. श्री राकेश पुत्र श्री भंवर सिंह जाति माली उम्र 21 साल निवासी एमआई रोड छोटी चोपड जयपुर थाना सिंधी केम्प जिला जयपुर, 02. श्री नवीन पुत्र रत्तीराम जाति कुम्हार उम्र 20 साल निवासी बहरोड थाना बहरोड जिला अलवर, 03. श्री किरणपाल पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी पिलानी थाना पिलानी जिला झुनझुनु को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार भंवर सिंह उ०नि० थाना कोतवाली ने श्री रामकेश पुत्र मोहनलाल मीना उम्र 34 साल निवासी भदलाव 2. बलराम पुत्र जयराम मीना निवासी भदलाव को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार कानसिंह स०उ०नि० थाना कोतवाली ने श्री लड्डूलाल पुत्र किशना 2. मुकेश पुत्र लड्डूलाल 3. लच्छीराम पुत्र किशना 4. रामजीलाल पुत्र लच्छीराम जातियान मीना निवासीयान उलियाणा थाना कोतवाली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार लालचन्द हैड कानि० थाना मलारना डूंगर ने 1. भरतलाल पुत्र गिराज मीना उम्र 40 साल निवासी भूखा 2. तुलसीराम पुत्र गिराज उम्र 45 साल जाति मीना निवासी भूखा 3. हरिवल्लभ पुत्र रामलाल उम्र 40 साल, 4. धनराज पुत्र रामलाल उम्र 30 साल जाति मीना निवासी भूखा थाना मलारनाडूंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते आरोपी गिरफ्तार:-

देवीलाल हैड कानि० थाना बाटौदा ने हेमराज पुत्र श्री रामखिलाडी जाति मीना उम्र 27 साल निवासी अरनिया थाना सदर गंगापुर सिटी थाना बाटौदा को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

जुआ खेलते 04 आरोपी गिरफ्तार:-

माधोसिंह हैड कानि० थाना चौथ का बरबाडा ने 01. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री श्योनारायण जाति गुर्जर उम्र 24 साल, 02. श्री प्रेमराज पुत्र श्री श्योजी उम्र 31 साल जाति गुर्जर, 03. श्री श्रवण पुत्र श्री मोडूराम जाति गुर्जर उम्र 30 साल, 04. श्री महावीर सिंह पुत्र श्री रूपा जाति गुर्जर उम्र 30 साल समस्त निवासीयान कुम्हारिया थाना चौथ का बरबाडा जिला सवाई माधोपुर को पैसों का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान कुम्हारिया चौथ का बरबाडा में जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय 52 ताश के पत्ते एवं 1350 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 207/17 दर्ज किया गया।

02 वारंटी गिरफ्तार :-

बच्चूसिंह हैड कानि० थाना बौली ने फरार वारंटी श्रवण लाल पुत्र मूल्या निवासी सवासा थाना बौली, धोलूराम पुत्र रामकरण जाति कीर नि० सवासा थाना बौली को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपियान के विरुद्ध जे०एम कोर्ट बौली द्वारा गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था।

दहेज प्रताडना के 02 आरोपी गिरफ्तार :-

सलीमुद्दीन हैड कानि० थाना बाटौदा ने रूकमकेश पुत्र श्री कैलाश जाति मीना उम्र 24 साल निवासी हीरामन की ढाणी बैरखण्डी थाना बाटौदा 2. मुल्जिमा श्रीमति बाढा देवी पत्नि श्री कैलाश जाति मीना उम्र 50 साल निवासी हीरामन की ढाणी बैरखण्डी थाना बाटौदा दहेज प्रताडना के आरोप में गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि आरोपियान के विरुद्ध हरिप्रसाद पुत्र हीरालाल मीणा निवासी नादौती ने दिनांक 17. 07 2017 को मु०न०:-106/17 धारा 498a,406,323 ताहि में दहेज प्रताडना के सम्बन्ध में थाना बाटौदा पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी

अबैध शराब रखने का आरोपी गिरफ्तार :-

मनीष कुमार हैड कानि० थाना चौथ का बरबाडा ने श्रीमति अनिता पत्नि श्री पिकू कंजर जाति कंजर उम्र 23 साल निवासी कंजर बस्ती चौथ का बरबाडा थाना चौथ का बरबाडा को अबैध शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी गश्त के दौरान कच्चा रास्ता कंजर बस्ती चौथ का बरबाडा में 2 लीटर हथकड शराब ले जाती हुई पायी गई। आरोपी से लाइसेंस के बारे में पूछा तो संतापजनक जबाब नही दिया। अतः आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मु०न० 208/17 धारा 16/54 में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।